शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल - 462 004

आदरणीय प्रधानमंत्रीजी,

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 एवं 3 दिसम्बर, 1984 की रात्रि में घटित गैस त्रासदी को विश्व की सबसे भयावह औद्योगिक एवं पर्यावरणीय त्रासदी के रूप में जाना जाता है। इस घटना के तत्काल बाद यूनियन कार्बाइड कारखाने को बंद कर दिया गया तथा जांच सी.बी.आई. को सौंपी गई। भारत सरकार के द्वारा भोपाल गैस लीक डिजास्टर (प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स) एक्ट 1985 पारित कर, मुआवजे से संबंधित समस्त अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिये थे। भारत सरकार के स्तर पर ''मंत्री समूह'' का गठन श्री पी. चिदंबरम, गृह मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। उक्त ''मंत्री समूह'' को यह दायित्व सौंपा गया था कि गैस पीड़ितों के हित में विचाराधीन मुद्दों पर आवश्यक अनुशंसाएं की जावे।

2. ''मंत्री समूह'' की बैठकों में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भोपाल शहर के गैस पीड़ितों को उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा दिलाने हेतु, भारत सरकार से अनुरोध किया गया था और यह मांग की गई थी कि गैस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को रूपये 10.00 लाख एवं गैस प्रभावित व्यक्तियों को रूपये 5.00 लाख का मुआवजा भारत सरकार द्वारा दिया जावे।

3. भारत सरकार द्वारा भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट के तहत मुआवजा वितरण हेतु पृथक से न्यायिक अधिकरण (कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल) गठित किया गया, जो भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में संचालित है। उक्त अधिकरण में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (कल्याण आयुक्त), अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अपर कल्याण आयुक्त) एवं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट (उपायुक्त) पदस्थ किए गए थे।

4. ''मंत्री समूह'' की बैठको में 5,74,376 गैस पीड़ितों के प्रकरणों में से कुल 48,694 प्रकरण में विभिन्न श्रेणियों में अतिरिक्त अनुग्रह राशि, पूर्व में प्रदान की गई मुआवजा राशि को घटाकर, वृद्धि की जाकर भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

5. उक्त परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा पत्र दिनॉक 24.06.2010 के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया था कि 10,047 गैस पीड़ित ऐसे हैं जो वास्तव में मृतकों की श्रेणी में है, परन्तु '' मंत्री समूह'' एवं केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उक्त मृत व्यक्तियों के परिवार को अनुग्रह राशि वितरण के मापदण्ड में शामिल नहीं किया गया।

6. मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मृत्यु श्रेणी में दावों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें मृत व्यक्ति को स्थाई एवं आंशिक निशक्तता की श्रेणी में माना गया है। इसी प्रकार कुछ अन्य मामलों में मृत्यु का कारण गैस प्रभाव न मानते हुए उन्हें सामान्य वर्ग में माना गया है, यह वर्गीकरण न्यायसंगत प्रतीत

नहीं होता है। अतः 10,047 प्रकरणों को मृतक श्रेणी में मानकर ही इनको भी 10.00 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाये ताकि गैस त्रासदी में मृत श्रेणी के कुल 15,342 प्रकरणो में आश्रितों को न्यायसंगत निर्णय मिल सके। इसके अतिरिक्त 5,21,332 व्यक्ति जो कि वास्तव में आंशिक गैस पीड़ितों की श्रेणी में थे, को अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करने की कोई अनुशंसा नहीं की गई, इन प्रकरणो पर भी उचित विचार करते हुए मुआवजा दिलाया जावे ताकि गैस पीड़ितों को न्याय प्राप्त हो सके।

7. मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी में भोपाल शहर के पीड़ित नागरिकों को मांग है कि उन्हें उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा भारत सरकार से दिलाया जाये।

8. गैस त्रासदी की 27वीं बरसी के अवसर पर उपरोक्त बिन्दूओं पर पुनः विचार कर सकारात्मक निर्णय लिये जाने का आप से अनुरोध करता हूं ताकि भोपाल के गैस पीड़ितों को पूर्ण न्याय मिल सके।

9. मेरा इस संबंध में आप से विनम्र अनुरोध है कि मैं इस संबंध में आप से भेंट करना चाहता हूं। इस भेंट में मेरे साथ गैस पीड़ितों के स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

10. अनुरोध है शीघ्र इस हेतु तिथि सुनिश्चित करने की अनुकम्पा करें।

सादर,

भवदीय,

(शिवराज सिंह चौहान)

डॉ0 मनमोहन सिंह,
प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
7, रेसकोर्स रोड,
नई दिल्ली – 110 001